सहायक कलक्टर माण्डल

29/11/22 उभय पक्ष उपस्थित / पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27.12.22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27/12/22 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार कहकर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थिया का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर प्राप्त किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:45:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

व तारीख
न जो है
की तारीख
जारी हुए

पीठासीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मा संख्या– 224/22 प्रा॰पत्र

श्रीमती लीला देवी प॰श्री रामचन्द्र जाट निवासी- माण्डल तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्री रामचन्द्र पि॰श्री धुकल जाट निवासी - माण्डल तहसील-माण्डल (सौरा)
(सहखातेदार प्रार्थनासलंग्न)

–विपक्षीगन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक – 27·12·22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम घोड़ास/खेड़ा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 10132/593 कुल किता 01 रकबा 0·2024 पर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की रगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19·10·22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का कारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम घोड़ास/खेड़ा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 10132/593 किता 01 रकबा 0·2024 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी ने जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500-/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार नकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:45:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा